

पंजीकृत

प्रेषक,

राज्य लोक सूचना अधिकारी—कम उप निदेशक (पी एण्ड आई)
कार्यालय निदेशक, ई.एस.आई स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा,
एस.सी.ओ 803, एन.ए.सी, मनीमाजरा, चण्डीगढ़।

सेवा में,

श्री पंकज कुमार पुत्र श्री अमरनाथ,
मकान नं 476, वार्ड नं 18, गली नं 2,
मॉडल टाउन, बहादुरगढ़

यादि क्रमांक 6/1(349)—ई.एस.आई.—आर.टी.आई.—3जी—2016 / ८५४२
दिनांक २९/७/१६


विषय Information under RTI Act, 2005.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

2. आप द्वारा मांगी गई सूचना निदेशालय में उपलब्ध शाखा के रिकार्ड अनुसार आपको प्रेषित की जाती है।

3. विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना से सहमत ना होने की स्थिति में आप प्रथम अपीलिएट अथोरिटी—कम—निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा, एस.सी.ओ 803, एन.ए.सी, मनीमाजरा, चण्डीगढ़ को अपील कर सकते हैं।

4. यदि आप उपरोक्त अनुमान से असन्तुष्ट हैं तो आपको अपीलीय प्राधिकारी निदेशक, ई.एस.आई स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा के सम्मुख अपील प्रस्तुत करने के लिये अनुरोध किया जाता है।


राज्य जन सूचना अधिकारी—सह उपनिदेशक (पी एण्ड आई),
कार्यालय निदेशालय, ई.एस.आई हैस्ट केयर, हरियाणा।

8886

१३/२९/७८१६

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने वारे— श्री पंकज कुमार।

क्या राज्य जन सूचना अधिकारी—कम—उप निदेशक (पी एण्ड आई) अपने अशा० पत्र क्रमांक 5703, दिनांक 27.06.2016 की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे?

श्री पंकज कुमार पुत्र श्री अमरनाथ, मकान न० 476, वार्ड न० 18, गली न० 2 मॉडल टाउन, बहादुरगढ़ द्वारा मांगी गई सूचना का उत्तर निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	मांगी गई सूचना	दी जाने वाली सूचना का उत्तर
1	What is the purchasing process of medicine for ESI Health Care Haryana	ई.एस.आई. स्वास्थ्य संरक्षण हरियाणा विभाग में चिकित्सा संस्थाओं के लिये दवाई खरीद वारे ४ परचेज, सैन्टर स्थापित है इनकी डिमाड अनुसार आवश्यक दवाईयों की खरीद ई.एस.आई.सी. नई दिल्ली द्वारा निर्धारित रेट कोनट्रक्ट के भावदर व शर्तों अनुसार खरीद की जा रही है।
2	Who are involved in the purchasing of medicine for ESI Health Care Haryana.	दवाईयों की खरीद प्रक्रिया के अनुसार ई.एस.आई. स्वास्थ्य संरक्षण हरियाणा विभाग के सभी चिकित्सा संस्थाओं हेतु आवश्यक दवाईयों की डिमाड सभी परचेज सैन्टर ईन्चार्ज(डी०डी०ओ०) द्वारा उनके अटैच चिकित्सा संस्थाओं से प्राप्त की जाती है तथा सम्बन्धित सिविल सर्जन ई.एस.आई. स्वास्थ्य संरक्षण हरियाणा के माध्यम से निदेशक ई.एस.आई. स्वास्थ्य संरक्षण हरियाणा, चण्डीगढ़ को भेजी जाती है। निदेशालय पर प्राप्त दवाईयों की डिमाड गठित कमेटी द्वारा examine करने उपरान्त निदेशक ई.एस.आई. स्वास्थ्य संरक्षण हरियाणा द्वारा खरीद के आदेश जारी कर दिये जाते हैं।
3	Is there any committee for the purchasing of medicine if yes please mention the designations of person involved.	निदेशक, ई.एस.आई. स्वास्थ्य संरक्षण हरियाणा द्वारा निदेशालय स्तर पर प्राप्त दवाईयों की डिमाड को examine करने हेतु एक कमेटी गठित की जाती है। गठित कमेटी में उप निदेशक(पी.एण्ड आई.), चिकित्सा निरिक्षक/चिकित्सा अधिकारी व वरिष्ठ लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी स्तर के अधिकारियों को शामिल किया जाता है।
4	Is the committee member are changed after some time or not?	आवश्यकता अनुसार संक्षम अधिकारी के आदेशानुसार कमेटी के सदस्य समय समय पर बदले जाते हैं।
5.	Who is authorized to inspect the medicine store?	संस्था प्रभारी व कन्ट्रोलिंग ऑफिसर उनके अधीन संस्थाओं के दवाईयों के भण्डार निरिक्षण के लिये सक्षम है। इसके अतिरिक्त विभाग का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी दवाईयों के भण्डार का निरीक्षण कर सकता है।

चिकित्सा निरीक्षक

४

सेवा में

राज्य जन सूचना अधिकारी—कम—उप निदेशक (पी एण्ड आई)

अशा० पत्र क्रमांक 19/70—ई.एस.आई.—जी—।—2016/ ८५८।

दिनांक २९-७-१८